न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस
प्रकरण संख्या 53/2020 रा.वा.

1. श्री नरेन्द्र कुमार पिता उकारलाल जी भट्ट उम्र बालिग निवासी हर मन्दिर के पास सलूम्बर जिला सलूम्बर।

–वादी

बनाम

1. श्री शान्तिलाल पिता नारायणजी खटीक उम्र बालिग
2. श्री बदामीलाल पिता नारयणलालजी खटीक उम्र बालिग
3. श्री रामलाल पिता नारायणजी खटीक उम्र बालिग
निवासीयान खटीक वाडा, सलूम्बर जिला सलूम्बर

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांकः 05/08/24

उपस्थितः– श्री राकेश प्रजापत–अधिवक्ता वादी
एक पक्षीय – प्रतिवादीगण

::निर्णय::

वादी के वाद के संक्षिप्त तथ्य निम्न है कि वादी की काश्तकारी भूमि मौजा कलुथडा पटवार हल्का देवगांव हाल तहसील झल्लारा जमाबंदी संवत् 2075–2075 की खाता संख्या नया 321 पुराना 321 कुल किता 07 रकबा 1.64 हैक्टेयर कृषि भूमि स्थित है जिसमे प्रतिवादीगण का कोई हक हिस्सा व स्वामित्व नही है।

वर्तमान मे वादी के स्वामित्व एवं आधिपत्य की उरोक्त कृषि भूमि मे से आराजी नम्बर 866 रकबा 0.17 हैक्टेयर भूमि मे प्रतिवादीगण वादी की खातेदारी भूमि मे जबरन प्रवेश कर वादी को बेवजह परेशान करते रहते है व खेता में घुसकर आये दिन कच्ची कोट बाड को नुकसान पहुचाते है प्रतिवादीगण चांलाक व्यक्ति है जो बिना कानून की परवाह किये उक्त कृत्य करते आ रहे है। वादी द्वारा कई बार प्रतिवादीगण को समझाने की कोशिश की लेकिन वे झगडा–फंसाद पर उतारू हो जाते है व कृषि भूमि से कुछ दुर खडे होकर पत्थरबाजी करते है व वादी की उक्त सम्पर्ण कृषि भूमि पर अतिक्रमण की बात करते हुए कहते है तुम जाति से बाहम्ण होकर हमारा कुछ नही बिगाड सकता है हम तो इस खेत मे आयेगे जायेगे ओर ये सारी कृषि भूमि भी हम ले लेंगे, यदि तुझे हमारे उपर कोई पुलिस केस या अन्य कोई कानूनी कार्यवाही की तो हम तुझे झुठे एस. टी./एस.सी. के मुकदमे में फंसा देंगे व जान से मारने की धमकी भी देते रहते है। जिससे वादी को मजबुर होकर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश करना पडा है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाये कि वो दावे की कलम संख्या 1 में वर्णित भूमि में से आराजी नम्बर 866 रकबा 0.17 हैक्टेयर कृषि भूमि मे प्रवेश नही करे एवं वादी के शान्ति

क कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर

पूर्वक कृषि कार्यो में किसी प्रकार की दस्तनदाजी नही करें व न ही कोई अवैध निमार्ण करे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री विजेश भलवाडा ने वकालतनामा पेश किया। आदेशिका दिनांक 28–03–2023 को प्रतिवादीगण मय अधिवक्ता के गैर हाजिर रहने से प्रतिवादीगण के खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवादीगण ने जवाब पेश नही किया इसलिये पत्रावली मे तनकीयात नही बनाई गई।

वादी ने अपने वादपत्र की पुष्ठी मे दस्तावेजी सिबूत प्रदर्श 1 नक्शा ट्रेस एवं प्रदर्श–2 जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 खाता संख्या 321 पेश किया तथा गवाह वादी नरेन्द्र स्वयम का शपथ–पत्र पेश किया एवं बयान कराये।

पत्रावली मे वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस करते हुए वादपत्र को दोहराया एवं निवेदन किया कि वादी वाद वर्णित भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है जबकी प्रतिवादीगण के द्वारा बार–बार क़ाश्त क़े समय संख्या मे अधिक होने के कारण वादी से मौके पर झगडा करते रहते है एवं फसन नष्ट कर देते है तथा वादी की जमीन पर वादी का कब्जा हटाने का प्रयास करते है इसलिये वादी का स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद डिक्री किया जावे।

वादी की एक पक्षीय बहस सुनने के बाद मैने पूरी पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया एवं वादी का वादपत्र एवं वादी गवाह के कथनो एवं वादी द्वारा पेश दस्तावेजा को ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। राजस्व जमाबंदी सम्वत् 2075–2078 मौजा कलुथडा पटवार हल्का देवगांव खाता संख्या 321 मे नरेन्द्र कुमार पुत्र उंकारलाल का नाम दर्ज है। वादी वाद वर्णित भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है। अतः वादी का वाद बाबत् स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर डिक्री किया जाना न्यायालय उचित समझता है।

–::आदेश::–

अतः प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि मौजा **कलुथडा पटवार हल्का** देवगांव जमाबंदी संवत् 2075–2078 खाता संख्या 321 क़े **आराजी नम्बर 866 रकबा** 0.17 हैक्टेयर वादी के आराजीयात की भूमि में किसी प्रकार **की दस्तनदाजी** अथवा निर्माण नही करे तथा ना ही उक्त कार्य अपने अधीनस्थ व्यक्ति **या नौकरो** अथवा मजदुरो से करावे। माफिक निर्णय डिक्री पर्चा अलग से तैयार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया।
पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर सलूम्बर सलूम्बर, जिला-सलूम्बर (राज.)

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
उपखण्ड अधिकारी,
जिला सलुम्बर

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालयः–उपखण्ड अधिकारी, सलूम्बर जिला–सलूम्बर (राज.)

बजरिये श्री पर्वत सिंह चूण्डावत आर.ए.एस

प्रकरण संख्या 53/2020 रा.वा.

1. श्री नरेन्द्र कुमार पिता उंकारलाल जी भट्ट उम्र बालिग निवासी हर मन्दिर के पास सलूम्बर जिला सलूम्बर।

–वादी

बनाम

1. श्री शान्तिलाल पिता नारायणजी खटीक उम्र बालिग
2. श्री बदामीलाल पिता नारयणलालजी खटीक उम्र बालिग
3. श्री रामलाल पिता नारायणजी खटीक उम्र बालिग
   निवासीयान खटीक वाडा, सलूम्बर जिला सलूम्बर

–प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

वादपत्र अन्तर्गत धारा 188 आर.टी.एक्ट के लिए दावा वादी की ओर से अधिवक्ता श्री राकेश प्रजापत एवं प्रतिवादीगण की एक पक्षीय उपस्थिति में इस वाद के आज तारीख 05/08/2024 को न्यायालय के समक्ष अन्तिम निप्टारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता हैं कि दावा वादी स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि मौजा कलुथडा पटवार हल्का देवगांव जमाबंदी संवत् 2075–2078 खाता संख्या 321 के आराजी नम्बर 866 रकबा 0.17 हैक्टेयर वादी के आराजीयात की भूमि में किसी प्रकार की दस्तनदाजी अथवा निर्माण नही करे तथा ना ही उक्त कार्य अपने अधीनस्थ व्यक्ति या नौकरो अथवा मजदुरो से करावे।

इसके वाद के खर्चे पक्षकार अपना–अपना वहन करे।

यह डिक्री आज दिनांक 05/08/2024 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गयी।

(पर्वत सिंह चूण्डावत RAS)
सहायक कलक्टर व उपखण्ड अधिकारी सलूम्बर
जिला सलूम्बर

वाद के खर्चे

वादी	रूपये	पैसे	प्रतिवादी	रूपये	पैसे
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	05	–	शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	–	–
2. शक्ति–पत्र के लिए स्टाम्प	01	–	अर्जी के लिए स्टाम्प	–	–
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प	–	–	प्लीडर की फीस	–	–
4. रूपये पर लीडर की फीस	–	–	सक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	–	–	आदेशिका की तामील	–	–
6. कमिश्नर की फीस (तलवाना)	05	–	कमिश्नर की फीस	–	–
7. आदेशिका की तामील	–	–		–	–
योग	11	–	योग	00	–

उपखण्ड अधिकारी,
सहायक कलक्टर सलूम्बर
जिला सलूम्बर